<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 700661 / 16

संस्थापन दिनांक : 03.11.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

बनाम

1–करतारसिंह पुत्र सरनामसिंह गुर्जर उम्र 47 साल निवासी ग्राम टुडीला थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 440 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23.09.16 को 12:30 से 13:00 बजे के मध्य फरियादी श्यामवरन अ0सा01 को उपहित कारित करने की तैयारी अथवा भय कारित करने की तैयारी के पश्चात फरियादी के खेत में प्रवेश कर अपनी भैंस से फरियादी श्यामवरन अ0सा01 की पांच विश्वा भूमि पर खड़ी फसल को चरवाकर 5000 / रुपये की रिष्टी कारित की।
- 2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक दिनांक 30.08.16 को आरोपी करतारसिंह की भैंसों ने फरियादी श्यामवरन अ0सा01 की धान की फसल रस्सा टूटकर खुलने से चर ली थी जिसकी फरियादी द्वारा शिकायत करने पर आरोपी से पुनरावृह्ति से मना किया लेकिन दिनांक 23.09.16 को आरोपी ने फरियादी के खेत में 5विश्वा भूमि पर पांच हजार रूपये कीमत की फसल को अपनी भैंसों से चरवा दिया जब फरियादी ने मना किया तो आरोपी अश्लील गालियां देने लगा और ना जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी श्यामवरन अ0सा01 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर आरोपी के विरुद्ध अप0क0 16/16 पंजीबद्ध कर मामला

विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या दिनांक 23.09.16 को 12:30 से 13:00 बजे के मध्य फरियादी श्यामवरन अ0सा01 को उपहित कारित रकने की तैयारी अथवा भय कारित करने की तैयारी के पश्चात फरियादी के खेत में प्रवेश कर अपनी भैंस से फरियादी श्यामवरन अ0सा01 की पांच विश्वा भूमि पर खड़ी फसल को चरवाकर 5000/-रुपये की रिष्टी कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- 5. श्यामवरन अ०सा०१ का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। पिछले वर्ष्ट्म वह उसकी धान की फसल को किसी अज्ञात पशु के चराने पर उसे शंका होने पर उसने आरोपी के विरुद्ध एफ.आई.आर. प्र०पी–1 लिखवा दी थी इस बात पर आरोपी ने गाली गलौच की थी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। एफ.आई.आर. प्र०पी–1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने खेत पर आकर नक्शामौका प्र०पी–2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नुकसानी पंचनामा प्र०पी–3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 23.09.16 को आरोपी उसकी धान की फसल को अपनी भैंसों से चरा रहा था जिससे उसे पांच हजार रूपये का नुकसान हुआ। इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे आरोपी ने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी–4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- प्रकरण में फिरयादी श्यामवरन अ०सा०1 उस संपितत का स्वामी है जिसके संबंध में रिष्टी का अपराध कारित किया गया है और वह अभियोजन मामले में प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उल्लिखित है। परन्तु उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपी द्वारा उसकी फसल को चरवाकर रिष्टी कारित करने के तथ्य से इंकार किया है। श्यामवरन अ०सा०1 महत्वपूर्ण साक्षी है। अतः उसके द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने और आरोपी द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाये जाने के तथ्यों से इंकार किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने 23.09.16 को 12:30 से 13:00 बजे के मध्य फिरयादी श्यामवरन अ०सा०1 को उपहित कारित करने की तैयारी अथवा भय कारित करने की तैयारी के पश्चात फिरयादी के खेत में प्रवेश कर अपनी भैंस से फिरयादी श्यामवरन अ०सा०1 की पांच विश्वा भूमि पर खड़ी फसल को चरवाकर 5000 / —रुपये की रिष्टी कारित की।
- 7. परिणामतः आरोपी को धारा ४४० भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA